

23.03.21.

अधिवक्ता अपीलान्ट के प्रपत्र दि. 17.03.21 पर आज पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट अपील को अब चलाना नहीं चाहते हैं। नोट प्रैस में रवारिज कराना चाहते हैं। अतः प्रपत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली नोट प्रैस में रवारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल नुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाला दारकील दफ्तर हो।

स-सदस्य न्यायाधीश,

पठन

राज्य न्यायिक अधिकारी

अवधपुर कैम्प-धीरपुर